राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 213/2018

भंवर सिंह पुत्र गणपतसिंह जाति दरोगा उम्र ..... साल निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. महावीर सिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी भोपालगढ़ तन खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. प्रताप सिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी भोपालगढ़ तन खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. लाखनसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी भोपालगढ़ तन खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. कमो देवी पत्नी आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी भोपालगढ़ तन खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. अंबिका पुत्री आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी भोपालगढ़ तन खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. अभिशेक पुत्र आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी भोपालगढ़ तन खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. विवके पुत्र आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी भोपालगढ़ तन खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. अजीत सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. आशुसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. आशा कंवर पुत्री सत्यनारायण सिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
11. ओमसिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
12. कमलसिंह पुत्र बनेसिंह जाति दरोगा जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
13. चन्दराकंवर पुत्री भागीरथ सिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
14. दलीपसिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
15. दीपा कंवर पुत्री सत्यनारायण सिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
16. पवनसिंह पुत्र बनेसिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
17. पुष्पादेवी पुत्री बनेसिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.12 17:21:35 IST
Reason: SelfAttested

18. मुन्नी कंवर पुत्री भागीरथ सिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
19. मीना पुत्री गणपतसिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
20. मीरा पुत्री गणपतसिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
21. रोशनसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
22. लालसिंह पुत्र बनेसिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
23. विक्रमसिंह पुत्र बनेसिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
24. शकुन्तला देवी पत्नी सत्यनारायण सिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
25. श्यामसिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
26. शेरसिंह पुत्र बनेसिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
27. संतोष पुत्री भागीरथसिंह जाति दरोगा निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
28. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

निर्णय **दिनांक 12–10–2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 के खसरा नंबर 83 रकबा 0.03 है., ख.नं. 84 रकबा 7.29 है. किता 2 कुल रकबा 7.32 है. भूमि के आवेदक एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 29 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस भूमि में आवेदक एवं अप्रार्थीगण ने पुख्ता कुप व मकान बना रखे हैं तथा वहीं पर आबाद है। आवेदक अपनी इस खातेदारी की भूमि में सदैव से काबिज एवं आबाद है। इस खातेदारी की भूमि में आवागमन के लिये खसरा नंबर 66 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि तक रास्ता है जो पगडण्डी के रूप में मौजूद है। इसके अलावा और कोई रास्ता ना तो मौके पर है तथा ना ही रिकार्ड में है। अप्रार्थीगण ने अब उक्त रास्ते में जे.सी.बी. चलाकर खाई खोदकर व गड्डे आदि बनाकर बिल्कुल बन्द कर दिया है जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार नहीं है। वाके ग्राम टीलावाली स्थित भूमि खसरा नंबर 66 रकबा 1.57 है. भूमि जो अप्रार्थी 1 लगायत 7 की खातेदारी में दर्ज भूमि है। तथा खसरा नंबर 66 में से ही आवेदक अपने खेत में प्रवेश कर सकता है। अर्थात् आवेदक की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 83 रकबा 0.03 है., ख.नं. 84 रकबा 7.29 है. किता 2 कुल रकबा 7.32 है. तक जाने के लिये 12 फुट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जो खसरा नंबर 66 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि तक जो नजरी नक्शे के अनुसार आवेदक को दिलाये जाने योग्य है क्योंकि आवेदक के लिए अपनी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा 12 फुट चौड़ाई का रास्ता भौतिक रूप से अधिक सुविधाजनक है। आवेदक एवं अनावेदकगण की

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.12 17:21:35 IST
Reason: SelfAttested

भूमि खसरा नंबर 83 व 84 स्थित ग्राम टीलावाली में स्थित खातेदारी की भूमि तक पहुंचने के लिये खसरा नंबर 66 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पुख्ता मकान आदि बना रखे है और आबाद है। आवेदक के मकानों से बच्चों को विद्यालय में ले जाने के लिये स्कूल वैन नहीं पहुंचती है। बीमार होने व कोई खुशी, गम में जीप, कार आदि नहीं पहुंच पाती है तथा ना ही फसल काश्त करने के लिये ट्रेक्टर आदि का साधन पहुंचता है। जिससे आवेदक को बेहद परेशानी एवं उनके लिये अपनी भूमि मकान, कुऐ एवं शिक्षा जैसी अति महत्वपूर्ण अधिकार का उपयोग करना असंभव हो गया है। प्रार्थी के मकानों एवं कुप पर जाने के लिये खसरा नंबर 66 के उत्तरी सीमा के सहारेसहारे से पश्चिम से पूर्व की ओर से ही उपयुक्त रास्ता संभव है आवेदक के लिए इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी इस आवेदन पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने को तैयार व तत्पर है।

अतः आवेदनद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0) स्थित भूमि खसरा नंबर 83 रकबा 0.03 है., ख.नं. 84 रकबा 7.29 है. खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिये जो ग्राम टीलावाली के खसरा नंबर 66 के उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे से पश्चिम से पूर्व की ओर जो नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार प्रार्थी को 12 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त 12 फुट चौड़ाई के रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा में तरमिम कर व रास्ता मौके पर कायम किया जावे। उक्त रकबा के लिये धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर उसको राजकोष में जमा किये जाने की कृपा करें। प्रार्थी इसकी पालना करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के खण्ड नं. 1 में आवागमन के लिये खसरा नंबर 66 के उत्तरी सीमा के सहारे– सहारे पश्चिम से पूरब की ओर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि तक रास्ता होना अस्वीकार है। पगडण्डी होना भी अस्वीकार है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए जोहड़ से पश्चिम से पूरब भंवर सिंह के खेत से उत्तर में ग्यारसी लाल प्रताप सिंह, लखन सिंह, आनन्द सिंह, समदर सिंह (अप्रार्थीगण) के खेत से उत्तर में तथा समदर सिंह जीवन सिंह तेजवीर सिंह, बजरंगसिंह, रणजीत सिंह के खेतों से दक्षिण में आम रास्ता है जो मौके पर खुला हे। उपरोक्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा अन्य खातेदार एवं जोहड़ा से पूरब में जाने वाले सभी व्यक्तियों के काम में आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के खण्ड में दर्ज कोई रास्ता अथवा पगडण्डी मौके पर नहीं है। ना कभी कोई ऐसा रास्ता व पगडण्डी थी एवं ना ही ऐसा कोई रास्ता पगडण्डी विद्यमान है। जहां तक वाके ग्राम टीलावाली के खसरा नंबर 83 रकबा 0.03 है., ख.नं. 84 रकबा 7.29 है. कुल किता 2 कुल रकबा 7.32 है. के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 29 इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि राजस्व रिकार्ड संयुक्त है लेकिन मौके पर सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज खातेदार काश्तकार है तथा इस भूमि में पुख्ता कुप मकान प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बने होना एवं आबाद होना स्वीकार है। प्रार्थी के खेत, कूप व मकान के उत्तर दिशा में खेत से सटकर पश्चिम से पूरब दिशा में जाने के लिए आम रास्ता है जो मौके पर खुला है। आवागमन के काम आ रहा है। प्रार्थी के पास आवागमन के लिए आम रास्ता विद्यमान है। प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थी सं. 1 को परेशान करने एवं उसके खेत को खराब करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को ही उनकी ओर से प्रस्तुत जवाब पढ़ा जवे। शेष अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.12 17:21:35 IST
Reason: SelfAttested

सं. 4 लगा. 28 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी ने दिनांक 28.8.2019 को दिनांक 30.5.2019 फर्द मौका रिपोर्ट भू.अ.नि. पर आपत्ति दर्ज कर कथन किया है कि गिरदावर महोदय ने माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तावित रास्ते का मौका ना देखकर अन्यत्र गांव वालों के प्रस्ताव अनुसार रिपोर्ट माननीय न्यायालय में जमा करवाई गई है उक्त रास्ता प्रार्थी के किसी भी प्रकार से हित में व सुविधाजनकर स्थिति में नहीं है। मात्र प्रार्थी को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण उक्त प्रस्तावित रास्ते में आये दिन दख्ल पैदा करते है तथा कभी रास्ते में खाई खोदकर खड्डे कर देते है तथा पत्थर डालकर रास्ते को अवरूद्ध करना चाहते है जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य नहीं आ जाये। दिनांक 23.08.2019 को अप्रार्थीगण ने रात्रि के समय करीब 8–8.30 बजे एक पत्थर की ट्रोली रास्तें में खाली कर दी है तथा एहलानिया धमकी दे रहे हैं कि विवादित रास्ते में निर्माण कार्य कर रास्ता बन्द कर देंगे। अप्रार्थीगण को प्रकरण के निस्तारण तक विवादित रास्ते को किसी भी प्रकार से अवरूद्ध नहीं करने बाबत पाबंद करने की कृपा करें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.8.2019 पर अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई थी। मौके पर कदीम से जो रास्ता प्रार्थी व अन्य खेतों में जाने का खुला है तथा कदीम से ही जिस रास्ते का उपयोग उपभोग हो रहा है उसकी सही एवं वास्तविक रिपोर्ट गिरदावर हल्का द्वारा तहसीलदार, खेतड़ी के माध्यम से न्यायालय श्रीमान् जी में पेश की जा चुकी है जो रिपोर्ट मौके के अनुसार सत्य व सही है लेकिन प्रार्थी अपनी मनमर्जी की रिपोर्ट बनवाना चाहता है अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 के खातेदारी की भूमि में से जबरदस्ती रास्ता लेना चाहता है जबकि अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 की खातेदारी की भूमि में कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि बाबत मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 64 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ में होकर खसरा नंबर 63, 62, 61, 85 की दक्षिणी सीमाओं से लगता हुआ होकर आवेदकगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 84 के उत्तर–पूर्व के ओर कोन के मध्य से होकर खसरा नंबर 82 में से होकर आगे की ओर जा रहा है। यह रास्ता मौके पर ट्रेक्टर आदि का बना हुआ है। हल्का गिरदावर की रिपोर्ट मुताबिक इस प्रचलित रास्ते के कारण प्रस्तावित रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता प्रमाणित नहीं होती है। खसरा नंबर 66 में से मौके पर कोई रास्ता नहीं पाया गया जिससे यह साफ प्रमाणित होता है कि प्रार्थी द्वारा धारा 251(क) में पगडण्डी दिखाकर उसको चौड़ा करवाने के लिए आवेदन कर गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश किये है। राजस्व ग्राम टीलावाली स्थित भूमि खसरा नंबर 64 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ में से होकर भूमि खसरा नंबर 66 में से कोई रास्ता नहीं है। मौके पर खसरा नंबर 64 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ में होकर खसरा नंबर 63, 62, 61, 85 की दक्षिणी सीमाओं से लगता हुआ होकर आवेदकगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसर नंबर 84 के उत्तर–पूर्व की ओर कोने के मध्य से होकर खसरा नंबर 82 में से होकर आगे की ओर जा रहा है। यह रास्ता मौके पर ट्रेक्टर आदि का बना हुआ है। यह प्रचलित रास्ता है जो आज के दिन चालू है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने हेतु प्रस्तुत किया है, उक्त आवेदन पत्र में प्रार्थी ने विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम टीलावाली तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नं. 83 व 84 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.12 17:21:35 IST
Reason: SelfAttested

आने जाने के लिए अप्रार्थीगण खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 66 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नंबर 84 तक 12 फुट चौड़ाई में रास्ता चाहा है। इस सम्बंध में तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व ग्राम टीलावाली स्थित भूमि खसरा नंबर 64 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ में से होकर भूमि खसरा नंबर 66 में से कोई रास्ता नहीं है। मौके पर खसरा नंबर 64 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ में होकर खसरा नंबर 63, 62, 61, 85 की दक्षिणी सीमाओं से लगता हुआ होकर आवेदकगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसर नंबर 84 के उत्तर–पूर्व की ओर कोने के मध्य से होकर खसरा नंबर 82 में से होकर आगे की ओर जा रहा है। यह रास्ता मौके पर ट्रेक्टर आदि का बना हुआ है। यह प्रचलित रास्ता है जो आज के दिन चालू है। इस प्रकार प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुतोष खण्ड सं. 9 (ए) द्वारा चाहे गये रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक नहीं है। प्रार्थी को खसरा नंबर 83, 84 में पहुंचने हेतु वैकल्पिक साधन का अभाव नहीं है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी वादग्रस्त भूमि का मौका मुआयना किया गया। नजरी नक्शा दिनांक 30.05.2019 में लाल स्याही से डोटेड ..... मार्क से दर्शाये गये रास्ते का अवलोकन करने से स्पष्ट जाहिर है कि भूमि खसरा नंबर 64 मुताबिक वर्तमान रिकार्ड राजस्थान सरकार की खातेदारी में किस्म गै.मु. जोहड़ दर्ज है जिसमें से होकर रास्ता मौके पर चालू है किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत जनहित याचिका अब्दुलरहमान बनाम राजस्थान सरकार आदि में पारित निर्णय के अनुसार अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग तथा अन्य प्रयोजनार्थ दर्ज करना वर्जित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12–10–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

12/10/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.12 17:21:35 IST
Reason: SelfAttested